

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु जिला- बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी श्री सज्जनराम आर.टी.एस

प्राथी	बनाम	विप्राथी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का लुनाडा		बाहताराम / धुडाराम कौम मेघवाल निवासी लुनाडा

मुकदमा नम्बर 05 / 2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। विप्राथी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्राथी द्वारा संवत् 2077 में ग्राम लुनाडा के खसरा नम्बर 1134 बीघा रकबा क्रमश 26.13 बीघा में से 13.00 बीघा किरम बा.सोयम भूमि पर अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का लुनाडा द्वारा रिपोर्ट का मांग किया गया जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस पत्र भेजा गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।


पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान का .....गुणा राशि 100/- अखरे एक सौ रूपये जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। जो विप्राथी से वसूल

पटवारी हल्का अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना / शास्ति राशि वसूल कर लेना व अभिलेख निरीक्षक नीलामी की कार्यवाही कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु न्यायालय में पेश करना।

तहसील राजस्व लेखाकार उक्त प्रकरण में मांग कायमी कर वसुली करें। पत्रावली फंसल सुमार होकर दफतर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
तहसीलदार एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट बायतु